सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2018/329 दायर दिनाँक 08.10.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. सफीअली पुत्र गनी, उम्र–55साल, जाति–भाट मुसलमान, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. ईब्राहीम मोहम्मद पुत्र गनी, उम्र–साल, जाति–भाट मुसलमान, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act. & 136 L.R.Act.

उपस्थित :–

1. श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 21.12.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद थाणू में खसरा नम्बर 244 रकबा 28.00 बीघा, खसरा नम्बर 231 रकबा 26.12 बीघा व खसरा नम्बर 258 रकबा 0.18 बीघा तथा खसरा नम्बर 265 रकबा 19.07 बीघा भूमि अवस्थित है, जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 01 खातेदार हैं।

वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम "सफी मोहम्मद पुत्र गनी" दर्ज है जबकि वादी का नाम वादी के अन्य दस्तावेजात् में "सफी अली पुत्र गनी खान" दर्ज है।

वादी ने अपने आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र, पेन कार्ड तथा बैंक डायरी की छायाप्रति पेश कर

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–329 / 2018
दायर दिनाँक 08.10.2018 निर्णय दिनाँक 21.12.2018
सफीअली बनाम् ईब्राहिम मोहम्मद, वगैरा।

निवेदन किया किया कि, उक्त दस्तावेजात् में वादी का नाम ''सफी अली पुत्र गनी खान'' दर्ज है

अनुतोष वादी है कि,

सरहद थाणू में खसरा नम्बर 244 रकबा 28.00 बीघा, खसरा नम्बर 231 रकबा 26.12 बीघा व खसरा नम्बर 258 रकबा 0.18 बीघा तथा खसरा नम्बर 265 रकबा 19.07 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम, ''सफी मोहम्मद पुत्र गनी'' के स्थान पर ''सफी अली पुत्र गनी खान'' दुरस्त किया जावे।

विद्वान वकील की एकपक्षीय सारगर्भित बहस सुनी गयी। विद्वान वकील अनुतोष वादी माफिक दावा डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादी जरिये वकील दावानुसार डिक्री चाहते है कि, सरहद थाणू में खसरा नम्बर 244 रकबा 28.00 बीघा, खसरा नम्बर 231 रकबा 26.12 बीघा व खसरा नम्बर 258 रकबा 0.18 बीघा तथा खसरा नम्बर 265 रकबा 19.07 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज वादी के नाम, ''सफी मोहम्मद पुत्र गनी'' को ''सफी अली पुत्र गनी खान'' दुरस्त किया जावे, जिसका किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वादी द्वारा पेश दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया जिनमें वादी का नाम ''सफी अली पुत्र गनी खान'' दर्ज है जिसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने पर किसी ने भी कोई आपत्ति पेश नहीं की है।

ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान वादी के नाम ''सफी मोहम्मद पुत्र गनी'' को ''सफी अली पुत्र गनी खान'' दुरस्त किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–329/2018
दायर दिनाँक 08.10.2018 निणर्य दिनाँक 21.12.2018
सफीअली बनाम् ईब्राहिम मोहम्मद, वगैरा।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद थाणू में खसरा नम्बर 244 रकबा 28.00 बीघा, खसरा नम्बर 231 रकबा 26.12 बीघा व खसरा नम्बर 258 रकबा 0.18 बीघा तथा खसरा नम्बर 265 रकबा 19.07 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के नाम, ''सफी मोहम्मद पुत्र गनी'' के स्थान पर ''सफी अली पुत्र गनी खान'' दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **21.12.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/329** दायर दिनाँक **08.10.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सफीअली पुत्र गनी, उम्र–55साल, जाति–भाट मुसलमान, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. ईब्राहीम मोहम्मद पुत्र गनी, उम्र–साल, जाति–भाट मुसलमान, निवासी–थाणू, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 88 R.T.Act. & 136 L.R.Act.

दिनाँक **21.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद थाणू में खसरा नम्बर 244 रकबा 28.00 बीघा, खसरा नम्बर 231 रकबा 26.12 बीघा व खसरा नम्बर 258 रकबा 0.18 बीघा तथा खसरा नम्बर 265 रकबा 19.07 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज वादी के नाम, ''सफी मोहम्मद पुत्र गनी'' के स्थान पर ''सफी अली पुत्र गनी खान'' दुरस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	— —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner